न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास**
		आर.जे.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	**188/2026**
पुलिस थाना	–	**जालोर**
सीआईएस नंबर	–	**287/2026**

लीलाराम पुत्र ओटाराम, उम्र 46 साल, निवासी सेलवाड़ा, थाना रेवदर, जिला सिरोही
.....प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य **....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः–

1– श्री उमेश कुमार, श्री हितेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से

2– अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

::– आदेश ::– **दिनांक 21.08.2026**

1. प्रार्थी / अभियुक्त **लीलाराम** की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत हुआ। नकल अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अभियुक्त लीलाराम को दिनांक 18.08.2026 को गिरफ्तार किया गया।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आरोपित अपराध की सजा मौत या आजीवन कारावास से दण्डित नहीं है। ट्रायल के पूर्ण होने में लम्बा समय लगेगा। मुलजिम श्रीमान के क्षेत्राधिकार में रहने वाला है उसके विरूद्ध भगने या गवाहो को भडकाने का आरोप नहीं है। मुलजिम से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा पुलिस ने फर्दात में बरामदगी बताई है तो उक्त बरामदगी गलत है। मुलजिम के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का आरोप नहीं है। प्रार्थी / मुलजिम माफिक आदेश प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने हेतु मौतबीर जमानत पेश करने को तैयार है। अतः जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

4. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 316(2), 61(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करने का अभियोग है। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र करने का जानते हुये विधि विरूद्ध जमाव कर फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर स्टाम्प पेपर पर कार्यवाही करवाते हुये परिवादी मनोहर कुमार की शादी करवाने के नाम पर प्रवंचित कर 7,00,000 / – रूपये, दो तोला सोने की कंठी, मंगलसुत्र, चांदी के छडे व आईफोन लेने व परिवादी को पैसे, सोने चांदी के जेवरात व आईफोन नहीं लौटाने का आरोप है, जिसकी पुष्टि प्रथमदृष्टया केस डायरी में संलग्न फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, दस्तावेजात से भी होती है। केस डायरी पर प्रार्थी / अभियुक्त के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जो दस्तावेज पेश किए जो इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नंबर	न्यायालय निर्णय
–	–	–	–	–	–

वर्तमान में राजस्थान राज्य में लिंगानुपात पुरूषो के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम होने से इस प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्वि हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि इस प्रकार के अपराधों में अपराधियों को जमानत का लाभ दिया गया तो इससे समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा एवं इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के हौसले बुलंद होंगे। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी ने भी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(4), 316(2), 61(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिताका अपराध प्रमाणित मानते हुए प्रार्थी / अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी / अभियुक्त को प्रकरण में गलत रूप से आलिप्त किया हो, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। यद्यपि केस डायरी के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, परंतु प्रार्थी / अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना न्यायालय के विनम्र न्यायिक अभिमतानुसार प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः प्रार्थी / अभियुक्त लीलाराम पुत्र ओटाराम, उम्र 46 साल, निवासी सेलवाड़ा, थाना रेवदर, जिला सिरोही की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन–पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति प्रार्थी / अभियुक्त के अधिवक्ता को निःशुल्क दी जाये।

(डॉ. विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर

6. आदेश आज दिनांक 21.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर

Authenticated Document